न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

भगोती देवी .... बनाम .... धापू देवी ....

.... मु. नं0 .... 27 .... वर्ष 2024 ....

किस्म मुकदमा .... 225 RLR ....

दिनांक	आज्ञा पत्र	
14-2-24	अपील दर्ज रजिस्टर हो। धारा 5 पर निर्णय सुरक्षित रखा जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र पर अपीलांट को सुना गया। अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने एकतरफा स्थगन आदेश पारित किया है। विचारण न्यायालय ने रिकार्डेड खातेदार को सुने बिना स्थगन आदेश पारित किया है। इस आदेश की कियान्विति स्थगित की जाये। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विचारण न्यायालय की सम्पूर्ण आदेशिका का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने एकतरफा स्थगन आदेश पारित किया है। यहां यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध एकपक्षीय स्थगन जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर मु. सीकर जिला सीकर द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 45/2023 उनवान धापू देवी बनाम रामचन्द्र आदि में पारित अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 25.0 5.2023 की पालना (कियान्विति) स्थगित की जाती है। रेस्पोडेन्ट के रजिस्टर्ड नोटिस जारी हो। तहत का रिकार्ड तलब हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 22.03.2024 को पेश हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	अ० नि० भगोती चि. पर्ची 1892 / 20.2.24 नो. पर्ची - 1893-1909 / 20.2.24 भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व ... सीकर सत्यमेव जयते
22-3-24	पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने आज न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 3-6-24 को पेश हो।	
3-6-24	पत्रावली पेश। वकील अपीलांट को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोर्डेटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपीलांट ने रेस्पोर्डेटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये है इससे स्पष्ट है कि अपीलांट अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलांट आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय खरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तक्मील दाखिल दफ्तर हो।	

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर